**भारत सरकार**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 4984**

**उत्तर देने की तारीखः 01.04.2025**

**स्वापक और मन:प्रभावी मादक द्रव्यों का बढ़ता उपयोग**

**4984. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विद्यालयों और महाविद्यालयों, विशेषकर केरल में स्वापक और मन:प्रभावी मादक द्रव्यों का उपयोग आम होता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री**

**(श्री बी.एल. वर्मा)**

**(क):** देश में नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या के परिमाण का आकलन करने और जानने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नेशनल ड्रग डिपेंडेन्स ट्रीटमेंट सेंटर, एम्स, नई दिल्ली के माध्यम से 'भारत में नशीले पदार्थों के सेवन का परिमाण' पर एक व्यापक राष्ट्र स्तरीय सर्वेक्षण कराया गया था, जिसे 2019 में प्रकाशित किया गया था। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, केरल में नशीले पदार्थों के उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

| केरल | बच्चे और किशोर (आयु 10-17) | |
|---|---|---|
| | सेवन की व्यापकता (%) | सेवन करने वालों की अनुमानित संख्या |
| कैनबिस | 0.36 | 15,000 |
| ओपिओइड्स | 0.74 | 31,000 |
| शामक दवाएं | 0.27 | 11,000 |
| इनहेलेंट | 0.95 | 39,000 |
| कोकेन | 0.03 | 1,000 |
| एम्फ़ैटेमिन्स प्रकार का उत्तेजक | 0.15 | 6,000 |
| हैलुसिनोजन | 0.26 | 11,000 |

| केरल | वयस्क (आयु 18-75) | |
|---|---|---|
| | सेवन की व्यापकता (%) | सेवन करने वालों की अनुमानित संख्या |
| कैनबिस | 1.43 | 3,52,000 |
| ओपिओइड्स | 0.86 | 2,12,000 |
| शामक दवाएं | 0.54 | 1,32,000 |
| इनहेलेंट | 0.46 | 1,12,000 |
| कोकेन | 0.05 | 13,000 |
| एम्फेटामाइन प्रकार का उत्तेजक | 0.13 | 31,000 |
| हैलुसिनोजन | 0.37 | 91,000 |

**(ख):** नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा **संलग्नक** में दिया गया है।

**संलग्नक**

**<u>दिनांक 01.04.2025 को उत्तर देने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4984 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित संलग्नक</u>**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) का कार्यान्वयन कर रहा है, जो एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए कार्यक्रम आदि के लिए राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन को।

ii. नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के पीड़ितों हेतु एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों, किशोरों में नशीले पदार्थों के सेवन को शीघ्र रोकने हेतु समुदाय आधारित संगतिपरक इंटरवेंशन (सीपीएलआई), आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) तथा जिला नशा मुक्ति केंद्र (डीडीएसी) को और

iii. नशामुक्ति उपचार केंद्र (एटीएफ) के लिए सरकारी अस्पतालों को।

2. नशीली दवाओं की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गई हैं:

- वर्तमान में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग केरल में 24 नशामुक्ति सुविधाओं सहित देश भर में 350 आईआरसीए, 46 सीपीएलआई, 74 ओडीआईसी, 124 डीडीएसी और 142 एटीएफ को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा एक टोल-फ्री नशामुक्ति हेल्पलाइन, '14446' का संचालन किया जा रहा है, ताकि इस हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान की जा सकें। अब तक हेल्पलाइन नंबर पर देश भर से 4.25 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हुई हैं, जिनमें केरल से 11,747 कॉल शामिल हैं।
- 272 सबसे अधिक संवेदनशील जिलों में नशामुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू किया गया था, जिसे अब 15 अगस्त, 2023 से देश भर के सभी जिलों में विस्तारित किया गया है, जिसके तहत 10,000 से अधिक युवा स्वयंसेवकों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सामुदायिक संपर्क किया जा रहा है। अब तक, एनएमबीए 14.79 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुँच चुका है जिसमें 4.96 करोड़ युवा और 2.97 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। इस अभियान में 4.16 लाख से अधिक शैक्षिक संस्थानों ने भी

भी भाग लिया है। केरल में अब तक जमीनी स्तर पर की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 29 29 लाख से अधिक व्यक्तियों को नशीली दवाओं के सेवन के बारे में जागरूक किया गया है, जिनमें 5.14 लाख से अधिक युवा और 6.97 लाख से अधिक महिलाएँ शामिल हैं। 1450 से अधिक शैक्षणिक शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी से यह सुनिश्चित हुआ है कि अभियान का संदेश राज्य के बच्चों और युवाओं तक पहुंचे।

- 12 अगस्त, 2024 को पूरे भारत के शैक्षणिक संस्थानों में नशामुक्त भारत अभियान के तहत एक राष्ट्रव्यापी सामूहिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 2 लाख से अधिक संस्थानों के 3 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया था। केरल में इस कार्यक्रम में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक और निजी कार्यालयों जैसे विभिन्न संस्थानों के 11.27 लाख से अधिक लोगों की सक्रिय भागीदारी रही।
- एनएमबीए की सहायता करने और जन जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्माकुमारी, संत निरंकारी मिशन, इस्कॉन, श्री राम चंद्र मिशन और अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसे आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- एनएमबीए की पहुंच को अधिकतम करने और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान के तहत कई गतिविधियों को डिजिटल रूप दिया गया है। एनएमबीए गतिविधियों के आंकड़ों को एकत्र करने और जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एनएमबीए डैशबोर्ड पर प्रदर्शित करने के लिए एनएमबीए मोबाइल एप्लिकेशन तैयार किया गया है।
- एनएमबीए की वेबसाइट (http://nmba.dosje.gov.in) उपयोगकर्ता/व्यूवर को इस अभियान, राज्यों और जिलों में इसकी पहुंच और इस अभियान के तहत अब तक आयोजित गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी की व्यवस्था प्रदान करती है।

******